

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), कोटा

क्रमांक: 319/2024

दिनांक: 26/02/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/KOT/0007649

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशेपा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजली से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/JHAL/2023/052694	नाम: Laxmi Narayan पिता का नाम: Hira Lal जिला: कोटा	रेदास कॉलोनी रामगंजमंडी, रेदास कॉलोनी रामगंजमंडी, रामगंज मंडी, शहर -रामगंज मंडी, वार्ड नं. 23	16/03/2023	आकाशीय बिजली	As Per SDRF Norms	6500
योग							6500

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

RajKaj Ref
5953816

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्नांकितों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त
3. जिला कलेक्टर कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कोटा
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा ।

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

RajKaj Ref
5953816

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation : District
Magistrate
Date : 05-03-2024 03:41:36